



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं.: NCST/ATY-2717/MRLY/45/2025-RU-IV

दिनांक :01.10.2025

सेवा में

श्री सीताराम मीना,
सहायक उप निरीक्षक,
आरपीएफ डिवीजन राजकोट वे रेलवे.,
पोस्ट मोरवी-
गुजरात
Mobile No:8390718935

विषय: आरपीएफ में नौकरी के दौरान ऑन-ड्यूटी गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अवकाश न दिए जाने एवं आर्थिक नुकसान (विजाउट-पे) और स्थानांतरित कर प्रार्थी को प्रताड़ित करने के संबंध में- श्री सीताराम मीना, सहायक उपनिरीक्षक, आरपीएफ डिवीजन राजकोट वे.रेलवे, पोस्ट-मोरवी (गुजरात) का दिनांक 20.06.2025 का पत्र/अभ्यावेदन।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि डॉ आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आपके प्रकरण में दिनांक **09.10.2025 समय 14.50 Hrs** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के मुख्यालय, छठा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सिटिंग निश्चित की है, जिसमें सम्बंधित अधिकारियों तथा आपके साथ विचार विमर्श किया जायेगा।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तिथि एवं समय की सिटिंग में आयोग में उपस्थित हों।

भवदीय

यो. प्र. यादव / Y. P. Yadav
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
✓ NIC for uploading